

इस्लाम में आर्थिक स्थिति की एक झलक

﴿مقتطفات من الوضع الاقتصادي في الإسلام﴾

[हिन्दी - Hindi - هندی]

अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2009 - 1430

islamhouse.com

﴿ مقتطفات من الوضع الاقتصادي في الإسلام ﴾

« باللغة الهندية »

عطاء الرحمن ضياء الله

2009 - 1430

islamhouse.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

बिरिमल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दया शील अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने मन की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत प्रदान कर दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। अल्लाह की प्रशंसा और स्तुति के बाद :

इस्लाम में आर्थिक स्थिति की एक झलक

धन जीवन की रीढ़ की हड्डी और उसका आधार है जिसके द्वारा इस्लामी शरी'अत का उद्देश्य एक संतुलित समाज की स्थापना है जिसमें सामाजिक न्याय का बोल बाला हो जो अपने सभी सदस्यों के लिए आदरणीय जीवन का प्रबंध करता है, चुनाँचि वह ऐसे ही है जैसाकि अल्लाह तआला ने उसके बारे में अपने इस कथन के द्वारा सूचना दी है :

﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الكهف: ६६]

“धन और बेटे दुनिया के जीवन की जीनत (श्रृंगार) हैं।” (सूरतुल कहफ :46)

और जब इस्लाम की दृष्टि में धन उन ज़रूरतों में से एक ज़रूरत है जिस से व्यक्ति या समूह बेनियाज़ नहीं हो सकते तो अल्लाह तआला ने उसके कमाने और खर्च करने के तरीकों से संबंधित कुछ नियम बनाये हैं, साथ ही साथ उसमें अढ़ाई प्रतिशत (2.5%) ज़कात अनिवार्य किया है जो धन्वानों के मूलधनों पर एक साल बीत जाने के बाद लिया जायेगा और निर्धनों और गरीबों में बांट दिया जायेगा, यह निर्धनों के अधिकारों में से एक अधिकार है जिसे रोक लेना हराम (वर्जित) है।

किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि इस्लाम व्यक्तिगत स्वामित्व और निजी व्यापारों को निरस्त करार देता है, बल्कि इस्लाम ने इसे स्वीकार किया है और उसका सम्मान किया है, और दूसरों के धनों और सम्पत्तियों से छेड़-छाड़ करने को वर्जित ठहराने के बारे में शरई नुसूस मौजूद हैं, अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188]

“एक दूसरे का माल अवैध रूप से न खाया करो।” (सूरतुल बकरा :188)

इस्लाम ने ऐसे नियम बनाये हैं जिन को लागू करना उस उद्देश्य की पूर्ति को सुनिश्चित करता है जिसके लिए इस्लाम प्रयासरत है अर्थात् समाज के हर सदस्य के लिए अच्छा जीवन मुहैया कराना, उसके लिए इस्लाम ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

1. व्याज को हराम करार दिया है क्योंकि इसमें आदमी अपने भाई की आवश्यकता और उसके प्रयासों (मेहनतों) का गलत फायदा उठाता और उसके धन को बिना कुछ दिए ले लेता है, तथा व्याज के फैलने से

लोगों के बीच से अच्छाई की समाप्ति हो जाती है और धन कुछ विशिष्ट दलों के हाथों में सिमट कर रह जाता है, अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾

[البقرة: २७८-२७९]

“ ऐ ईमान वालो! अल्लाह तआला से डरो और जो व्याज बाकी रह गया है वह छोड़ दो यदि तुम सच्चे ईमान वाले हो, और अगर ऐसा नहीं करते तो अल्लाह तआला से और उसके रसूल से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, हाँ यदि तौबा कर लो तो तुम्हारा मूल धन तुम्हारा ही है, न तुम अत्याचार करो और न तुम पर अत्याचार किया जायेगा।”
(सूरतुल बकरा :278)

2. इस्लाम ने कर्ज़ (ऋण) देने पर उभारा है और उसकी प्रेरणा दी है ताकि सूद और उसके रास्तों को बंद किया जा सके, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है: “जिसने किसी मुसलमान को एक दिरहम दो बार कर्ज़ दिया तो उसके लिए उन दोनों को एक बार सद्का करने करने के बराबर अज़्र व सवाब है।” (मुसनद अबू यअ्ला 8/443 हदीस नं.: 5030)

और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : “जिसने किसी मुसलमान की परेशानी (संकट) को दूर कर दिया तो उसके बदले अल्लाह तआला उसकी कियामत के दिन की परेशानियों में से एक परेशानी को दूर कर देगा।” (सहीह मुस्लिम हदीस नं.:58)

- इस्लाम ने तंगी वाले को छूट और मोहलत देने, और उसे तंग न करने का संदेश दिया है और यह हुक्म मुस्तहब (ऐच्छिक) है, अनिवार्य नहीं है – यह उक्त व्यक्ति के लिए है जो ऋण वापस करने का पूरा प्रयास कर रहा हो लेकिन टाल-मटोल और खिलवाड़ करने वाले के लिए यह नहीं है— अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: २८०]

“और यदि तंगी वाला हो तो उसे आसानी तक छूट देनी चाहिए।”
(सूरतुल बकरा :280)

और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : “जिसने किसी तंगी वाले को छूट और मोहलत दिया उसके लिए हर दिन के बदले सद्का होगा, और जिसने उसे कर्ज चुकाने की मुद्दत आ जाने के बाद मोहलत दिया उसके लिए उसी के समान हर दिन सद्का है।” (सुनन इब्ने माजा 2/808 हदीस नं.:2418)

- ऋणी पर ऋण चुकाना कठिन हो रहा हो तो इस्लाम ने अनिवार्य न करते हुए ऋणी से ऋण को क्षमा कर देने पर उभारा है और इसकी प्रतिष्ठा को स्पष्ट किया है, अल्लाह तआला ने फरमाया :

﴿وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: २८०]

“और दान करो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है।” (सूरतुल बकरा :280)

और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं कि “जो इस बात से प्रसन्न हो कि अल्लाह तआला उसे परलोक की कठिनाईयों से छुटकारा दे दे तो उसे चाहिए कि वह तंगी वाले को छूट व मोहलत दे

या उस से ऋण को समाप्त कर दे।” (सुनन बैहकी 5/356 हदीस नं. :10756)

3. इस्लाम ने लालच और ज़खीरा अंदोजी को हराम ठहराया है चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, क्योंकि ज़खीरा करने वाला (लोगों के इस्तेमाल की वस्तुओं को इकट्ठा करने वाला) लोगों के खानपान और ज़रूरत के सामान को रोक लेता है यहाँ तक कि वह सामान मंडी में कम होजाता है, फिर वह मनपसंद भाव लगाकर बेचता है, इस से समाज के सभी लोगों धनवान एवं निर्धन सब को नुक़सान पहुँचता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन के कारण यह गलत है: “जिसने माल को ज़खीरा किया वह पापी है।” (सहीह मुस्लिम 3/1227 हदीस नं.:1605)

इमाम अबू हनीफा के शिष्य अबू यूसुफ कहते हैं : “हर वह वस्तु जिसका रोकना लोगों के लिए हानिकारक हो वह एहतिकार (ज़खीरा अन्दोजी) है, यदि वह सोना चाँदी ही क्यों न हो, और जिसने ज़खीरा किया उसने अपनी मिलकियत में गलत हक़ का इस्तेमाल किया। इसलिए कि ज़खीरा करने से रोकने का उद्देश्य लोगों से हानि को रोकना है और लोगों की विभिन्न ज़रूरतें होती हैं और ज़खीरा अन्दोजी से लोग कष्ट और तंगी में पड़ जाते हैं।

और हाकिम का यह अधिकार है कि सामान इकट्ठा करके रखने वाले को ऐसे मुनासिब फायदे में बेचने पर मजबूर करे जिस में न बेचने वाले का हानि हो न ही खरीदने वाले का। यदि सामान इकट्ठा करके रखने वाला इन्कार कर देता है तो हाकिम को यह अधिकार है कि वह अपना शासन लागू कर के उसे मुनासिब दाम में बेचे ताकि उसके इस कृत्य

के सबब सामान इकट्ठा करके रखने और लोगों की आवश्यकताओं से लाभ कमाने की इच्छा रखने वाले का रास्त बंद हो जाए।

4. इस्लाम ने चूँगी को हराम करार दिया है, यानी वह धन जो व्यापारी से उसे सामान बेचने की अनुमति देने या शहरों में घुसाने की अनुमित देने पर लिया जाता है जिसे इस समय टैक्स (कर) से जाना जाता है, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है “टैक्स (चूँगी) लेने वाला जन्नत में नहीं जायेगा।” (सहीह इब्ने खुज़ैमा 4/51 हदीस नं.:2333)

यह हर वह चीज़ लेने का नाम है जिसका लेना वैध नहीं और ऐसे असदमी को देना जिसके लिए उसे लेना वैध नहीं है, और इस में हर प्रकार की सहायता करने वाला चाहे वह वसूली करने वाला हो या लिखने वाला हो या गवाह हो या लेने वाला हो, वह पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन के अंतरगत आता है : “वह मांस और खून जिस का पोषण अवैध धन से हुआ है वह स्वर्ग में नहीं जा सकता, वह नरक का अधिक हकदार है।” (सहीह इब्ने हिब्बान 12/378 हदीस नं.: 5567)

5. इस्लाम ने धन का खज़ाना बनाकर रखने और उसमें अल्लाह के उन हुक्म को जिन से मनुष्य और समाज का भला और लाभ होता है, न निकालने को हराम करार दिया है इसलिए कि माल के इस्तेमाल का उचित ढंग यह है कि सभी लोगों के हाथों में पहुँचता रहे, ताकि इस से आर्थिक व्यवस्था चलती रहे, जिस से समाज के सभी लोग लाभान्वित होते हैं विशेषकर जब समाज को ज़रूरत हो, अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

[التوبة: ٣٤]

“और जो लोग सोने चाँदी का खज़ाना रखते हैं और उसे अल्लाह के मार्ग में खर्च नहीं करते उन्हें कष्टदायक सज़ा की सूचना पहुँच दीजिए।” (सूरतुत्तौबा :34)

इस्लाम ने जिस तरह निजी मिलकियत का सम्मान किया है उसी तरह उसमें हुक्क और वाजिबात (अधिकार और कर्तव्य) निर्धारित किए हैं, इन वाजिबात में से कुछ ऐसे हैं जो स्वयं मालिक ही के लिए हैं जैसे अपने ऊपर खर्च करना और रिश्तेदारों में से जिनके खर्च का वह जिम्मेदार है, उन पर खर्च करना ताकि वह दूसरों के ज़रूरतमंद न रहें। उन में से कुछ समाज के खास लोगों के लिए अनिवार्य है जैसे ज़कात, दान, खैरात इत्यादि। तथा उनमें से कुछ समाज के लिए अनिवार्य है, जैसे विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, अनाथालय और मस्जिदें बनाने और हर वह चीज़ जिसे से ज़रूरत के वक़्त समाज को लाभ पहुँचे, उसमें माल खर्च करना। और इस कार्य के द्वारा इस्लाम धन को समाज के कुछ विशिष्ट लोगों के हाथों में सिमटने से रोकना चाहता है।

6. नाप और तौल में डंडी मारने को इस्लाम ने हराम ठहराया है इसलिए कि यह एक प्रकार की चोरी, छीना झपटी, खियानत और धोखा-धड़ी है, अल्लाह तआला फरमाता है :

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾

[المطففين: १-३]

“बड़ी खराबी है नाप तौल में कमी करने वालों की, कि जब लोगों से नाप कर लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं और जब उन्हें नाप कर या तौल कर देते हैं तो कम देते हैं।” (सूरतुल मुतफिफेफीन :1-3)

7. इस्लाम ने मनुष्यों के सामान्य लाभ और मुनाफे की चीजों पर कब्ज़ा जमाने और लोगों को उस से लाभ उठाने से रोकने को हराम करार दिया है, जैसे आम पानी और चरागाह जो किसी व्यक्ति की सम्पत्ति न हो, जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : “तीन प्रकार के व्यक्ति ऐसे हैं कि परलोक के दिन अल्लाह उनसे बात करेगा न ही उनकी तरफ देखे गा : एक व्यक्ति वह है जिसने किसी सामग्री के बारे में क़सम खाया कि जितने में वह दे रहा उस से अधिक देकर लिया है हालांकि वह झूठा है, एक व्यक्ति वह है जिसने अस्र के बाद अपने मुसलमान भाई का माल लेने के लिए झूठी क़सम खाई और एक व्यक्ति वह है जिस ने ज़रूरत से अधिक (फाल्तू) पानी को रोक लिया, अल्लाह तआला कहे गा : आज मैं तुझ से अपना फज़ल (अनुकम्पा) रोक लूंगा जिस तरह तुम ने उस अतिरिक्त पानी को रोक दिया था जो तुम्हारे हाथों की कमाई नहीं थी।” (सहीह बुखारी 2/834 हदीस नं.:2240)

रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं कि “मुसलमान तीन चीजों में आपस में साझीदार हैं : चारा, पानी और आग।” (मुस्नद अहमद 5/364 हदीस नं.:23132)

8. इस्लाम के अन्दर मीरास का क़ानून है, माल के मालिक से दूरी और करीबी के हिसाब से वरासत (तरका) को वारिसों के बीच बांटा जाता है—और इस वरासत के धन के बटवारे में किसी को अपनी व्यक्तिगत इच्छा और मनमानी चलाने का अधिकार नहीं है— और इस क़ानून की

अच्छाईयों में से यह है कि धन चाहे जितना ज़्यादा हो यह सब को छोटी-छोटी मिलकियतों में बांट देता है और इस धन को कुछ विशिष्ट लोगों के हाथों में सिमटने को असम्भव बना देता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं कि “अल्लाह तआला ने हर हकदार को उसका हक दे दिया है इसलिए किसी वारिस के लिए वसीयत नहीं है।” (सुनन अबू दाऊद 3/114 हदीस नं.:2870)

9. **वक्फ का क़ानून** : इस्लाम ने वक्फ करने पर लोगों को उभारा और उसकी प्रेरणा दी है। वक्फ दो प्रकार का है :

खास वक्फ : आदमी अपने घर और परिवार वालों के लिए उन्हें भूख, गरीबी और भीख मांगने से बचाने के उद्देश्य से धन वक्फ करे, और इस वक्फ के शुद्ध होने की शर्तों में से एक शर्त यह है कि वक्फ करने वाले के परिवार के खत्म हो जाने के बाद उसका लाभ पुण्य के कार्यों में लगाया जाएगा।

आम वक्फ : आदमी सामान्य पुण्य के कार्यों में अपना धन वक्फ करे जिसका उद्देश्य उस वक्फ या उसके लाभ को भलाई और नेकी के कामों पर खर्च करना हो, जैसे : हस्पताल, पाठशालाएं, रास्ते, पुस्तकालय, मसाजिद, और अनाथों, लावारिसों और कमज़ोरों की देखभाल के केंद्र बनाना, इसी तरह हर वह काम जिसका समाज को लाभ पहुँचे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं : “जब इंसान मर जाता है तो उसके सारे नेकी के काम बंद हो जाते हैं सिवाय तीन चीज़ों के, सद्का जारिया (बाकी रहने वाला दान) या लाभदायक ज्ञान या नेक लड़का जो माता पिता के लिए दुआ करे।” (सहीह मुस्लिम 3/1255 हदीस नं.:1631)

10. **वसीयत का नियम** : इस्लाम ने मुसलमान के लिए यह वैध करार दिया है कि वह अपने माल में से कुछ माल मरने के बाद पुण्य कार्य और भलाई के कामों में खर्च करने की वसीयत कर दे। लेकिन इस्लाम ने तिहाई माल से अधिक वसीयत करने की अनुमति नहीं दी है ताकि इस से वारिसों को हानि न पहुँचे। आमिर बिन सअद रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है, वह कहते हैं कि मैं मक्का में बीमार था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मेरा हाल पता करने के लिए आये, मैं ने आप से कहा कि क्या मैं अपने सारे माल की वसीयत कर सकता हूँ? आप ने कहा नहीं, तो मैं ने कहा तो फिर आधे माल की? आप ने फरमाया नहीं, मैं ने कहा तो फिर एक तिहाई की? आप ने फरमाया : एक तिहाई की कर सकते हो और एक तिहाई भी अधिक है, तुम्हारा अपने वारिसों को मालदार छोड़ना इस बात से बेहतर है कि तुम उन्हें मुहताज छोड़ दो वो लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरें, और तुम कितना भी खर्च कर डालो वह सद्का है यहाँ तक कि अपनी बीवी के मुँह में जो लुकमा डालते हो (वह भी सद्का है) और शायद अल्लाह तुम्हारी बीमारी को उठा ले और कुछ लोग तुम से लाभ उठायें और दूसरे लोग नुकसान।” (सहीह बुखारी 1/435 हदीस नं.:1233)

11. उन सभी चीज़ों को हराम करार दिया जो अल्लाह तआला के इस कथन : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ “ऐ ईमान वालो! तुम आपस में एक दूसरे का माल अवैध तरीके से न खाओ।” (सूरतुन्निसा :29) के अन्तरगत आती हैं।

✘ विभिन्न प्रकार की छीना झपटी से रोका है, इसलिए कि इसमें लोगों पर अत्याचार होता है और समाज में बिगाड़ पैदा होता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : “जिसने कसम खा कर

अपने मुसलमान भाई का हक छीन लिया तो अल्लाह तआला ने उसके लिए नरक अनिवार्य कर दिया है और उस पर स्वर्ग हराम कर दिया है।” एक आदमी ने कहा कि ऐ अल्लाह के पैग़म्बर! अगर छोटी ही चीज़ क्यों न हो? आप ने कहा कि : “चाहे पीलू की एक डाली ही क्यों न हो।” (सहीह मुस्लिम 1/122 हदीस नं.:137)

✘ और चोरी से रोका है, इसलिए कि यह लोगों के धनों पर अवैध कब्ज़ा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं : “ज़िना करने वाला ज़िना करते वक़्त कामिल मोमिन नहीं रहता, चोर चोरी करते वक़्त मुकम्मल मोमिन नहीं रहता, शराबी शराब पीते वक़्त कामिल मोमिन नहीं रहता और उसके बाद उसके सामने तौबा का अवसर रहता है।” (सहीह मुस्लिम 1/77 हदीस नं.:57)

✘ धोखा और फरेब से रोका है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन के कारण “जिसने हम पर हथियार उठाया वह हम में से नहीं और जिस ने हमें धोखा दिया तो वह हम में से नहीं।” (सहीह मुस्लिम 1/99 हदीस नं.:101)

✘ घूस लेने से रोका है, जैसाकि अल्लाह का फरमान है :

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 188]

“एक दूसरे का माल अवैध तरीके से न खाओ, और न ही हाकिमों को घूस दे कर किसी का कुछ माल अत्याचारी से हथिया लिया करो, हालांकि तुम जानते हो।” (सूरतुल बकरा :188)

तथा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमयम : “फैसला में घूस देने और लेने वाले दोनों पर अल्लाह की फटकार है।” (सहीह इब्ने हिब्बान 11/467 हदीस नं.:5076)

‘राशी’ घूस देने वाला “मुर्तशी’ घूस लेने वाला और एक हदीस में ‘राईश’ का शब्द आया है जिसका अर्थ दलाल है। घूस देने वाले पर फटकार इस लिए है कि वह इस हानिकारक चीज़ को समाज में फैलाने में सहायता कर रहा है और अगर वह घूस न देता तो घूसखोर न पाया जाता, और घूस लेने वाले पर फटकार इस लिए है कि उस ने घूस देने वाले को अवैध रूप से उसका धन लेकर उसे हानि पहुँचाया है और उसने अमानत में खियानत की है, इसलिए कि वह कार्य जो उस पर बिना माल लिए हुए करना अनिवार्य था उसे पैसे के बदले में किया है, इसके साथ ही घूस देने वाले के मुखालिफ को भी हानि हो सकता है। दलाल ने घूस देने और लेने वाले दोनों से अवैध माल लिया है और इस बुराई के फैलाव का प्रोत्साहन किया है।

- ✘ इस्लाम ने मनुष्य के लिए अपने भाई के क्रय पर क्रय करने को हराम करार दिया है, हाँ अगर वह उसे अनुमति दे दे तो कोई बात नहीं, इसलिए कि इस से समाज में दुश्मनी पैदा होती है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं कि “आदमी अपने भाई के क्रय—विक्रय पर क्रय—विक्रय न करे और अपने भाई के विवाह के संदेश पर संदेश न भेजे, हाँ अगर उसका भाई अनुमति दे दे तो कोई बात नहीं।” (सहीह मुस्लिम 2/1032 हदीस नं.:1412)